

न्यायालय सहायक कलेक्टर / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर-लेक (जयपुर)

राजस्थान लोक अदालत केंद्र

मुकदमा नम्बर 35/18

वादी 915718

देवीलाल सुन हुन्माराण जमिनी प्रभू

वनाम तहसीलदार किशनगढ रेनवाल (प्रतिवादी)

वादा दुरस्ती इन्द्राज अर्न्तगत धारा 88,89

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है :-

ग्राम ~~सांभर~~ पटवारी हल्का ~~सांभर~~ तहसील ~~सांभर~~  
के आराजी खसरा नम्बर 998.16 / 1054/3 दिनांक 8 मई 1977

में वादी का नाम व विवरण देवीलाल सुन हुन्माराण जमिनी प्रभू

के स्थान पर

देवीलाल सुन हुन्माराण जमिनी प्रभू


पर दुरस्त किया जावे।

उपरोक्त वाद के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं केंद्र कोर्ट में मजमूआत में आवि की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित है

वर्तमान प्रविष्टि

आदेशित शुद्ध प्रविष्टि

देव पुत्र बुध्नासुरमन्त्रि देव देवीकाल पुत्र बुध्नासुर	देव पुत्र बुध्नासुरमन्त्रि देव देवीकाल पुत्र बुध्नासुर
जयते जयते जयते	जयते जयते जयते



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार .....  
को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावें।

09/5/18  
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट

सांभर-लेक (जयपुर)